



21 SEP 2022

Date.....  
Book No. 89, SI No. 172

मैं, सनोवर द्वेरा पिता/माता मोहन कीवर रद्दमान

उम्र 49 वर्ष, \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुख्यमंत्री के वार्ड संख्या 05.

मोहल्ला घूर्ण इपड़ा बाई पोस्ट अमृतामृती, धाना शक्ति, जिला मुख्यमंत्री

बिहार का निवासी हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुख्यमंत्री के

वार्ड संख्या 05 के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुख्यमंत्री के वार्ड 05 के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य

पार्षद पद के निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए अनहित नहीं हूँ:

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य हैं।

मनोज कुमार  
अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - .....  
Shahnaaz Johar

नाम- ..... 21/09/1995

पता- घूर्ण इपड़ा बाई गाली वार्ड 05

लाला- घूर्ण इपड़ा लाला- मुख्यमंत्री

Manoj K.  
Adv  
21-09-2022

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर M.D. 1/445/7.a.e/

नाम- 21/09/2022

पता- घूर्ण इपड़ा बाई गाली वार्ड 05

गाना- घूर्ण इपड़ा लाला- मुख्यमंत्री

स्थान: घूर्ण इपड़ा लाला- मुख्यमंत्री

दिनांक: 21-09-2022

Contents of the Affidavit  
solemnly affirmed and declared  
before me through Deponent/Executive  
Identified by Advocate

10/09/2022  
MANOJ KUMAR KAHANI  
NOTARY, M.P.A.F.H.P.R.D.

लगातार .....

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिशनर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा  
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

मुख्यभूत

जिला के \*नगर निगम/\*नगरपालिका/\*नगरपालिका वार्ड संख्या ..... ०५  
के वार्ड संख्या ..... ०५ से \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद का निर्वाचन।

अभ्यर्थी का नाम- मनोदर हुसैन

पिता/प्रति का नाम- मोहम्मद इब्राहीम

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कारावास या अर्थदण्ड से दंडित किये गये हैं- १००  
(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:-

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दंडित किये गये- १००

(ii) दंडित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- १००

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- १००  
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- १००

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- १००

(vi) कारावास से मुक्त होने की तिथि- १००

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? १००

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- १००

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- १००

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लोबित है- १००

(iv) यदि निष्पादित है, तो

(क) निष्पादन की तिथि- १००

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- १००

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- १००

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- १००

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- १००

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हों- १००

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- १००

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर वैसे किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- भूमि

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- भूमि
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- भूमि
- (iii) अपराध संख्या भूमि
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- भूमि
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- भूमि

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कोडिका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- भूमि

- (i) अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है। संज्ञान लिया गया है- भूमि
- (ii) न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/संज्ञान लिया है- भूमि
- (iii) अपराध संख्या- भूमि
- (iv) आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- भूमि
- (v) उपर्युक्त आरोप तैयार करने/संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- भूमि

4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- भूमि

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

(i) कृषि भूमि :- भूमि

(ii) शहरी भूमि- आवासीय भूमि- ०.०५ एकड़ी  
क्षेत्र/लगाता - १५,००,०००/- ₹

(iii) भवन- पट्टक/रुम- २ क्षेत्र लगाता- ७,००,०००/- ₹

उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमतः-

(i) नकद ५०,०००/-  
५०/२५ उपरि २१/८

(ii) बैंक बैलेन्स-  $1750 \cdot 10 = 3425$   
 (बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिक्स डिपोजिट 21025

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

(iv) ਲੋਣਡ, ਸ਼ੇਯਰ- 21-25

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

(v) वाहन मीरे द्याते

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन  
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें)

(vi) आधुषणों का विवरण ३।- ५०२८७१० रुपये ४०००/-  
 (पूर्ण विवरण है) ३।- ५०२८७१० रुपये ४०००/-  
 ३।- ५०२८७१० रुपये ४०००/-  
 ३।- ५०२८७१० रुपये ४०००/-

6. \*\*\*(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएँ।

(प्रमाण-पत्रों के साथ)

(ख) अगर के.सी.सी. है तो उसके अद्यतन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति २१०२

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का  
के नाम के साथ ऑक्टिव करें-

लेज (1) २१८५-आर०.पी० २१२९ ३२१७० ८४५६/१९६६-१९८५  
 (2) २०२५(कार्य) २११२ ८४५६ कॉलेट, शुद्धि ९४- १९८७  
 (3) ५५: ८० २०१८५, " " " " ९४- १९८९.  
 (4) की-८०- आर०.पी० २११२ ८४५६ " " " ९४- १९९१  
 (5) २१८० ८०- ७७१८ (किंवद्वया) २११२ ८४५६ ९४- १९९४

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

स्थान- समादृष्टिमय अंडपर्याप्त

৪৭১৯২-৮২৫৭-

तिथि- 22.9.2022

अध्यर्थी का हस्ताक्षर

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

\*\* वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेल्थ टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/बिक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सुप्री स्तम्भ निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ “शून्य” अवश्य अकिञ्चित किया जाय।

नाटः- सभा स्वामी गारुद पत्र लेख से यह जाना चाहिए कि अध्यर्थी हाथ सूचना छिपाने स्वामी खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अध्यर्थी हाथ सूचना छिपाने की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।